पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ

प्रेस नोट सं0-1418
दिनांक-12.08.2026

जोन-दक्षिणी/थाना- सुशान्त गोल्फ सिटी,

थाना सुशान्त गोल्फ सिटी पुलिस द्वारा भारत में अवैध रूप से निवास कर रही उजबेकिस्तानी नागरिक को गिरफ्तार किया गया।

- **अवैध रूप से भारत में निवास कर रही उजबेकिस्तानी नागरिक महिला को किया गया गिरफ्तार।**
- **एफ0आर0आर0ओ0(FRRO) की सूचना पर थाना सुशान्त गोल्फ सिटी पुलिस टीम द्वारा अभियुक्ता की बाद पूछताछ थाना स्थानीय के महिला हेल्प डेस्क से गिरफ्तारी की गई।**
- **अभियुक्ता के कब्जे से भारतीय प्रपत्र जैसे आधार कार्ड, पैन कार्ड, डी0एल0 आदि बरामद।**
- **अभियुक्ता के पास से नकदी, पीली व सफेद धातु की ज्वैलरी एवं मोबाइल फोन बरामद।**

01-कार्यवाही विवरणः-

श्रीमान पुलिस आयुक्त कमिश्नरेट लखनऊ श्री तरूण गाबा व संयुक्त पुलिस आयुक्त अपराध एवं मुख्यालय श्रीमती अपर्णा कुमार के निर्देशानुसार महिलाओं के विरुद्ध हो रहे अपराधों की रोकथाम हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत पुलिस उपायुक्त दक्षिणी श्री मो0 मुश्ताक के कुशल निर्देशन में व अपर पुलिस उपायुक्त दक्षिणी श्री रल्लापल्ली वसंथ कुमार व सहायक पुलिस आयुक्त गोसाईगंज श्री ऋषभ यादव के कुशल मार्गदर्शन एवं प्रभारी निरीक्षक सुशान्त गोल्फ सिटी श्री राजीव रंजन उपाध्याय द्वारा थाना सुशान्त गोल्फ सिटी, लखनऊ पर पंजीकृत मु0अ0सं0-544/2025,धारा-318(4)/61 बीएनएस, विदेशी पंजीकरण अधिनियम 1939 की धारा 5, विदेशी अधिनियम 1946 की धारा 14 (ए) व विदेशियों विषयक अधिनिमय 1946 की 7(1) अथवा धारा 8/10/23 द इमीग्रेशन एण्ड फारेनर एक्ट 2025 एक्ट में वांछित अभियुक्ता लोला कायूमोवा को गिरफ्तार किया गया।

02- संक्षिप्त विवरणः-

दिनांक-**20.06.2025** को वादी **उ0नि0 महेश कुमार सिंह थाना सुशान्त गोल्फ सिटी, लखनऊ** को थाना सुशान्त गोल्फ सिटी पर सूचना प्राप्त हुयी कि अभियुक्तगणों द्वारा धोखाधडी करते हुये आर्थिक लाभ लेने के लिए अनाधिकृत व अवैध रूप से विदेशी महिलाओं/व्यक्तियों को यह जानते हुए कि उनका पासपोर्ट/वीजा की अवधि समाप्त हो गई है, को भारत में अवैध रूप से निवास किये जाने में सहयोग किया जाना, तथा आवश्यक दस्तावेजी कार्यवाही पूर्ण किये बिना उक्त विदेशी महिलाओं की पहचान बदलने हेतु प्लास्टिक सर्जरी/आपरेशन किया जाने के सम्बन्ध में थाना सुशान्त गोल्फ सिटी पर अभियोग पंजीकृत किया गया।

विवेचना के दौरान प्राप्त साक्ष्यों एवं एफ0आर0आर0ओ की सूचना पर थाना सुशान्त गोल्फ सिटी पुलिस टीम द्वारा त्वरित कार्यवाही करते हुए बाद पूछताछ अभियुक्ता लोला क्यूमोवा सुपुत्री अलिमद जमोवना तास्कंद शहर उज्बेकिस्तान हाल पता तुलसी विहार कालोनी राजाजीपुरम थाना तालकटोरा जनपद लखनऊ हाल पता आर्चिट बी ओमेक्स सरसवां पुलिस हेड क्वाटर अर्जुनगंज थाना सुशान्त गोल्फ सिटी जनपद लखनऊ उम्र करीब 45 वर्ष को नियमानुसार हिरासत पुलिस में लिया गया। गिरफ्तारशुदा अभियुक्ता को नियमानुसार मा0 न्यायालय के समक्ष पेश किया गया।

03-अभियुक्ता से पूछताछ का विवरणः-

अभियुक्ता ने पूछताछ के दौरान बताया कि मैं (लोला क्यूमोवा) जो अवैध रूप से वीजा व पासपोर्ट की अवधि समाप्त होने के उपरान्त भी कई वर्षो से भारत के अलग-अलग राज्यो के जिलों में छुपकर रह रही थी, अभियुक्ता द्वारा यह भी बताया गया कि मेरे द्वारा आधार कार्ड, पैन कार्ड, डीएल आदि प्रपत्र नियमों के प्रतिकुल बनवाये गये है, साथ ही साथ यह बताया गया कि मेरे गैंग के कई अन्य सहयोगियों द्वारा भी मेरा सहयोग किया जाता है, साथ ही इसके द्वारा यह भी बताया गया कि इसके द्वारा अलग-अलग राज्यो व अलग-अलग जिलों में अनैतिक देह व्यपार भी कराया जाता है। अभियुक्ता के साथ कई अन्य महिलाएँ भी शामिल है, जिनके द्वारा अनैतिक देह व्यापार भी कराया जाता है। अभियुक्ता के मोबाइल फोन से कई महत्तवपूर्ण साक्ष्य प्राप्त हुए है। जिनके आधार पर इस गैंग में शामिल अन्य सदस्यो के विरुद्ध भी कार्यवाही की जायेगी।

04-पंजीकृत अभियोग का विवरणः-

01-मु0अ0सं0 544/2025 धारा 318(4)/61 बीएनएस ,विदेशी पंजीकरण अधिनियम 1939 की धारा 5,विदेशी अधिनियम 1946 की धारा 14 (ए) व विदेशियों विषयक अधिनिमय 1946 की 7(1) अथवा धारा 8/10/23 द इमीग्रेशन एण्ड फारेनर एक्ट 2025 थाना सुशान्त गोल्फ सिटी, कमिश्नरेट लखनऊ।

05-गिरफ्तार अभियुक्ता का विवरणः-

01-लोला क्यूमोवा सुपुत्री अलिमद जमोवना तास्कंद, उम्र – करीब 45 वर्ष **मूल निवासी** – उज्बेकिस्तान, **हाल पता-1**. तुलसी विहार कालोनी राजाजीपुरम थाना तालकटोरा जनपद लखनऊ। **2**. आर्चिट बी ओमेक्स सरसवां पुलिस हेड क्वाटर अर्जुनगंज थाना सुशान्त गोल्फ सिटी लखनऊ। **व्यवसाय** – अनैतिक देह व्यापार करना/कराना।

06-बरामदगीः-

- 04 अदद अंगुठी इस्तेमाली पीली धातु
- 01 अदद अंगुठी इस्तेमाली सफेद धातु
- 01 अदद घड़ी इस्तेमाली पीले कलर
- 01 अदद चेन इस्तेमाली पीली धातु
- 01 अदद ब्रेसलेट इस्तेमाली पीली धातु
- 01 अदद चैन पतली इस्तेमाली पीली धातु मय लाकेट सफेद नग
- 01 जोड़ी ईयरिंग पीली धातु
- 02 अदद फोन (मोबाइल वीवो व सैमसंग)
- 03 डेबिड कार्ड (Axis, HDFC)
- 01 अदद फन्टुरा कार्ड (लुलु माल का)
- दो अदद आधार कार्ड
- एक अदद पैन कार्ड
- एक अदद डीएल
- 39740/- रूपये कैश

07-गिरफ्तारी व बरामदगी करने वाली टीम थाना सुशान्त गोल्फ सिटी, लखनऊः-

- थाना सुशान्त गोल्फ सिटी पुलिस टीम कमिश्नरेट लखनऊ।

पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ

प्रेस नोट सं0-1422

दिनांक- 12.08.2026

जोन- उत्तरी/ थाना-रहीमाबाद

- **थाना रहीमाबाद पुलिस टीम द्वारा 02 वारण्टियों/अभियुक्तों को किया गया गिरफ्तार।**

01-कार्यवाही का विवरण

थाना रहीमाबाद पुलिस द्वारा दिनांक **12.08.2026** को माननीय न्यायालय द्वारा निर्गत वारण्टों के अनुपालन में 02 वारण्टियों को गिरफ्तार किया गया।

1. नीरज नट पुत्र मर्दान सिंह नट, उम्र करीब 34 वर्ष, निवासी रहीमाबाद बाजार, थाना रहीमाबाद, लखनऊ को माननीय न्यायालय एसीजे जेडी, जनपद लखनऊ, कोर्ट नं0-34 द्वारा निर्गत **वाद सं0-70791/21, अ0सं0-476/20, धारा 60 आबकारी अधिनियम, थाना मलिहाबाद**, के संबंध में अवगत कराते हुए विधि सम्मत तरीके से वारण्टी नीरज नट उपरोक्त को उसके घर से गिरफ्तार किया गया।

2. वीरेन्द्र कुमार पुत्र रामशंकर तिवारी, उम्र करीब 37 वर्ष, निवासी ग्राम जौरिया, थाना रहीमाबाद, जनपद लखनऊ को माननीय न्यायालय स्पेशल जज एटीएस, जनपद लखनऊ द्वारा निर्गत **वाद सं0-940/16, अ0सं0-08/16, धारा 498/304बी भा0द0वि0, थाना मलिहाबाद**, के संबंध में अवगत कराते हुए विधि सम्मत तरीके से वारण्टी वीरेन्द्र कुमार उपरोक्त को उसके घर से गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तारी के दौरान माननीय सर्वोच्च न्यायालय एवं मानवाधिकार आयोग के आदेशों एवं निर्देशों का अक्षरशः पालन किया गया तथा हमराह पुलिसकर्मियों से भी अनुपालन सुनिश्चित कराया गया। आवश्यक विधिक कार्यवाही पूर्ण कर दोनों वारण्टियों को **माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है।**

02-गिरफ्तार वारण्टियों का विवरण

1. वीरेन्द्र कुमार पुत्र रामशंकर तिवारी, उम्र करीब 37 वर्ष, निवासी ग्राम जौरिया, थाना रहीमाबाद, लखनऊ।

- **वाद सं0- 940/16**, अ0सं0 **08/16**, धारा **498/304बी भा0द0वि0**, थाना मलिहाबाद।

2. नीरज नट पुत्र मर्दान सिंह नट, उम्र करीब 34 वर्ष, निवासी रहीमाबाद बाजार, थाना रहीमाबाद, जनपद लखनऊ।

- **वाद सं0- 70791/21**, अ0सं0 **476/20**, धारा **60 आबकारी अधिनियम**, थाना मलिहाबाद।

03-गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

वीरेन्द्र कुमार की गिरफ्तारी करने वाली टीम—

1. उ0नि0 रामसेवक राणा, थाना रहीमाबाद, कमिश्नरेट लखनऊ।
2. आरक्षी धर्मेश यादव, थाना रहीमाबाद, कमिश्नरेट लखनऊ।

नीरज नट की गिरफ्तारी करने वाली टीम—

1. व0उ0नि0 रावेन्द्र सिंह, थाना रहीमाबाद, कमिश्नरेट लखनऊ।
2. आरक्षी सुरेश कुमार गौतम, थाना रहीमाबाद, कमिश्नरेट लखनऊ।

पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ

प्रेस नोट सं0-
दिनांक- 12.08.2026

जोन- उत्तरी/ थाना-माल

- **ऑपरेशन किरण के तहत मिशन शक्ति केन्द्र थाना माल द्वारा पारिवारिक विवाद में पति-पत्नी के मध्य कराई गई सफल मध्यस्थता, परिवार को बिखरने से बचाया गया**

01-संक्षिप्त विवरणः-

ऑपरेशन किरण के अन्तर्गत पुलिस उपायुक्त महोदय उत्तरी कमिश्नरेट लखनऊ की पहल पर मिशन शक्ति केन्द्र थाना माल पारिवारिक विवाद से उत्पन्न पति-पत्नी के मध्य आपसी मनमुटाव का **काउंसलिंग एवं मध्यस्थता के माध्यम से सफलतापूर्वक निस्तारण** कराया गया।

काउंसलिंग के दौरान मिशन शक्ति केन्द्र की टीम द्वारा पति-पत्नी की समस्याओं एवं पक्षों को ध्यानपूर्वक सुना गया तथा दोनों के मध्य सकारात्मक संवाद स्थापित कर आपसी मतभेदों को दूर करने का प्रयास किया गया। प्रभावी काउंसलिंग एवं समझाइश के फलस्वरूप दोनों पति-पत्नी अपने मतभेद भुलाकर **आपसी सहमति से पुनः साथ रहने के लिए सहमत** हुए।

मिशन शक्ति केन्द्र थाना माल की टीम द्वारा दोनों पक्षों के मध्य सुलह-समझौता कराते हुए उन्हें **आपसी प्रेम, सौहार्द एवं विश्वास के साथ पारिवारिक जीवन आगे बढ़ाने** हेतु उनके घर रवाना किया गया। मिशन शक्ति केन्द्र की इस पहल की स्थानीय लोगों द्वारा सराहना की गई।

ऑपरेशन किरण का उद्देश्य संवाद, काउंसलिंग एवं आपसी सहमति के माध्यम से पारिवारिक विवादों का शांतिपूर्ण समाधान कर **परिवारों को टूटने से बचाना, आपसी समझ एवं विश्वास को बढ़ावा देना तथा परिवार में सौहार्दपूर्ण वातावरण बनाए रखना** है।

02-मध्यस्थता कराने वाली टीम का विवरणः-

01.उ0नि0 श्री दीपक कुमार थाना माल जनपद लखनऊ

02.म0हे0का0 अनुराधा सिंह थाना माल जनपद लखनऊ

03.म0का0 मधु थाना माल जनपद लखनऊ

04.रि0म0का0 अनीता यादव

पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ

प्रेस नोट सं0-1419
दिनांक-12.08.2026

जोन- दक्षिणी/ थाना-मोहनलालगंज

- **थाना मोहलालगंज द्वारा विवाहिता का अश्लील वीडियो बनाकर वायरल करने की धमकी देकर धन वसूली करने वाला 01 अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार।**

01-कार्यवाही विवरणः-

श्रीमान पुलिस आयुक्त लखनऊ श्री तरुण गाबा व संयुक्त पुलिस आयुक्त लखनऊ श्रीमती अपर्णा कुमार के निर्देशानुसार महिलाओं के विरुद्ध हो रहे अपराध की रोकथाम के लिए चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत पुलिस उपायुक्त दक्षिणी श्री मो0 मुश्ताक के कुशल पर्यवेक्षण व अपर पुलिस उपायुक्त श्री रल्लापल्ली वसंथ कुमार तथा सहायक पुलिस आयुक्त मोहनलालगंज श्री राजेश कुमार सिंह के कुशल मार्गदर्शन एवं प्रभारी निरीक्षक मोहनलालगंज श्री राम बाबू सिंह द्वारा गठित टीम द्वारा विवाहिता से छेडछाड व अश्लील वीडियो बनाकर वायरल करने की धमकी देने वाला 01 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया।

02-संक्षिप्त विवरणः-

वादिनी द्वारा सूचना दी गई कि राम नगर बाराबंकी का रहने वाला जव्वाद उर्फ जावेद द्वारा वादिनी से व्यवहार बनाकर बच्चो को जान से मारने की धमकी देकर वादिनी की अश्लील वीडियो बनाकर वायरल करने की धमकी देते हुए पैसे वसूलना व पैसे न देने पर मारपीट करना व जान से मारने की धमकी देने के संबंध में थाना मोहनलालगंज पर मु0अ0स0-299/2026,धारा-308(5)/76 /115(2)/351(3) बी0एन0एस0 व 67A आईटी एक्ट पंजीकृत किया गया।

अभियुक्त की गिरफ्तारी हेतु पुलिस उपायुक्त दक्षिणी द्वारा टीमों का गठन किया गया, टीमों द्वारा टैक्निल एवं मैनुअल साक्ष्यो व स्थानीय सूचना तंत्र के माध्यम से दिनांक-11.08.2026 को अभियुक्त जव्वाद उर्फ जावेद को गिरफ्तार कर मा0 न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया।

03-पूछताछ अभियुक्तः-

अभियुक्त जव्वाद उर्फ जावेद पुत्र जब्बार उपरोक्त द्वारा पूछताछ में अपना जुर्म को स्वीकार करते हुये कहा की साहब मुझ से गलती हो गयी, मुझे माफ कर दीजिए।

04-गिरफ्तार अभियुक्त का विवरणः-

01-जव्वाद उर्फ जावेद पुत्र जब्बार निवासी मीरपुर थाना रामनगर जनपद बाराबंकी उम्र करीब 24 वर्ष।

05-बरामदगी का विवरणः-

- 01 अदद अदद लैपटाप
- 01 अदद मोबाईल

06-पंजीकृत अभियोगः-

01-मु0अ0सं0 299/2026, धारा 308(5)/76/115(2)/351(3) बीएनएस 67A IT Act थाना मोहनलालगंज लखनऊ।

07-गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-

- थाना मोहनलालगंज पुलिस टीम,कमिश्नरेट लखनऊ।

पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ

प्रेस नोट सं0- 1424

दिनांक- 12.08.2026

जोन- उत्तरी/ थाना-माल

- **थाना माल पुलिस द्वारा महिला को आत्महत्या के लिए दुष्प्रेरित करने के मामले में नामजद अभियुक्त (पति) को किया गया गिरफ्तार।**

01-संक्षिप्त विवरण:

दिनांक **11.08.2026** को वादी श्री शंकर यादव पुत्र स्व0 सुखई यादव निवासी- एलडी कॉलोनी सेक्टर एफ कानपुर रोड थाना सरोजनीनगर लखनऊ द्वारा थाना माल पर उपस्थित होकर तहरीरी सूचना दी गयी कि वादी की पुत्री मनीषा यादव पत्नी अमित कुमार द्वारा अपने पति **अमित कुमार पुत्र स्व0 बैजनाथ निवासी ग्राम बनेवापुरवा, थाना माल, लखनऊ** एवं ससुरालीजनों की प्रताड़ना से तंग आकर आत्महत्या कर ली गयी। प्राप्त तहरीरी सूचना के आधार पर थाना माल पर **मु0अ0सं0 179/2026 धारा 85/108 बीएनएस** बनाम पति अमित कुमार एवं अन्य के विरुद्ध अभियोग पंजीकृत किया गया।

अभियुक्त की गिरफ्तारी हेतु थाना माल पुलिस द्वारा लगातार प्रयास किये जा रहे थे। इसी क्रम में आज दिनांक **12.08.2026** को **उ0नि0 नजमे हसन मय हमराह पुलिस बल** द्वारा मुखबिर खास की सूचना पर अभियुक्त **अमित कुमार** को **पिपरी तिराहा, माल** से नियमानुसार गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तारी के दौरान **माननीय सर्वोच्च न्यायालय एवं मानवाधिकार आयोग के दिशा-निर्देशों का अक्षरशः पालन** किया गया। अभियुक्त के विरुद्ध नियमानुसार विधिक कार्यवाही पूर्ण कर **माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है।** अभियुक्त के आपराधिक इतिहास के संबंध में अन्य थानों एवं जनपदों से जानकारी की जा रही है।

02-अपराध का उद्देश्य:

वादी की पुत्री द्वारा पति एवं ससुरालीजनों की प्रताड़ना से तंग आकर आत्महत्या कर लेने के संबंध में अभियोग पंजीकृत किया गया है।

03-गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण:

01-अमित कुमार पुत्र स्व0 बैजनाथ, निवासी ग्राम बनेवापुरवा, थाना माल, जनपद लखनऊ, **उम्र करीब 34 वर्ष।**

04-पंजीकृत/अनावरित अभियोग का विवरण-

01-मु0अ0सं0 179/2026 धारा 85/108 बीएनएस थाना माल लखनऊ

05-गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:

1. **उ0नि0 श्री नजमे हसन**, थाना माल, लखनऊ।
2. **का0 जोगेन्द्र कुमार**, थाना माल, लखनऊ।

पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ

प्रेस नोट सं0-1425

दिनांक- 12.08.2026

जोन- उत्तरी/ थाना-माल

- **थाना माल पुलिस टीम द्वारा 02 वारण्टी/ अभियुक्तों को किया गया गिरफ्तार।**

01-सक्षिप्त विवरण:-

माननीय न्यायालय **अपर सत्र न्यायाधीश/त्वरित न्यायालय प्रथम, लखनऊ** द्वारा निर्गत गैर-जमानती वारंट, वाद संख्या **911/18**, मु0अ0सं0 **146/18**, धारा **376(D)/506/366 भादवि**, थाना माल, जनपद लखनऊ से संबंधित 02 नफर वारण्टी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु थाना माल पुलिस द्वारा लगातार प्रयास किये जा रहे थे।

इसी क्रम में आज मुखबिर खास की सूचना पर थाना माल पुलिस टीम द्वारा वारण्टी अभियुक्तों **विनोद यादव** एवं **जगदीश** को उनके घर **ग्राम बरुआ, थाना माल, जनपद लखनऊ** से नियमानुसार गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार दोनों वारण्टियों के विरुद्ध थाना स्थानीय से **अग्रिम विधिक कार्यवाही** की जा रही है।

02-गिरफ्तार वारण्टियों का विवरण:

1. **विनोद यादव पुत्र मेड़ीलाल**, निवासी ग्राम बरुआ, थाना माल, जनपद लखनऊ, उम्र करीब **24 वर्ष**, पेशा मजदूरी।
2. **जगदीश पुत्र खग्गा**, निवासी ग्राम बरुआ, थाना माल, जनपद लखनऊ, उम्र करीब **25 वर्ष**, पेशा मजदूरी।

03-सम्बन्धित अभियोग का विवरण:

01-वाद संख्या **911/18** मु0अ0सं0 **146/18** धारा **376(D)/506/366 भादवि** थाना **माल, जनपद लखनऊ**

05-गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:

1. **उ0नि0 श्री गिरीश दत्त पाण्डेय**, थाना माल, लखनऊ।
2. **उ0नि0 श्री राहुल पाण्डेय**, थाना माल, लखनऊ।

पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ

प्रेस नोट सं0- 1426
दिनांक- 12.08.2026

जोन- उत्तरी/ थाना-मलिहाबाद

- **थाना मलिहाबाद पुलिस टीम द्वारा साइबर धोखाधड़ी के मामले में 01 वांछित अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार।**
- **अभियुक्त द्वारा ऑनलाइन गेमिंग प्लेटफार्म एवं टेलीग्राम के माध्यम से लिंक भेजकर आमजन को लालच देकर साइबर धोखाधड़ी करने की बात प्रकाश में आयी।**
- **साइबर ठगी की धनराशि को विभिन्न बैंक खातों में स्थानांतरित कर USDT (डिजिटल करेंसी) में परिवर्तित किया जाता था।**
- **विवेचना में लगभग 34 लाख रुपये की संगठित साइबर ठगी का मामला प्रकाश में आया।**
- **पूर्व में इसी मुकदमे में 03 अभियुक्तों की गिरफ्तारी की जा चुकी है।**

01-सक्षिप्त विवरण:-

श्रीमान पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश द्वारा साइबर अपराधियों के विरूद्ध चलाए जा रहे विशेष अभियान ऑपरेशन "CYVAJRA" के क्रम पुलिस आयुक्त, कमिश्नरेट लखनऊ श्री तरुण गाबा के निर्देशन, संयुक्त पुलिस आयुक्त (अपराध एवं मुख्यालय) श्रीमती अपर्णा कुमार के पर्यवेक्षण तथा पुलिस उपायुक्त उत्तरी, कमिश्नरेट लखनऊ के निर्देशन में साइबर अपराध के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में थाना मलिहाबाद पुलिस द्वारा **मु0अ0सं0 60/2026, धारा 318(4)/319(2)/111(2) बीएनएस एवं 66सी/66डी आईटी एक्ट, थाना मलिहाबाद** में वांछित अभियुक्त **विनय कुमार गौतम उर्फ समर** की संलिप्तता प्रकाश में आने पर उसकी तलाश की जा रही थी।

पुलिस टीम द्वारा प्रभावी कार्यवाही करते हुए अभियुक्त **विनय कुमार गौतम उर्फ समर** को आज दिनांक **12.08.2026** को प्रातः करीब **08:30 बजे अशोक विहार, आलमनगर, थाना तालकटोरा, लखनऊ** से नियमानुसार गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के विरुद्ध अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

विवेचना के दौरान प्रकाश में आया कि अभियुक्तगण द्वारा **ऑनलाइन गेमिंग प्लेटफार्म एवं टेलीग्राम ऐप के माध्यम से लिंक भेजकर आमजन को लालच देकर साइबर धोखाधड़ी** की जाती थी। साइबर ठगी से प्राप्त धनराशि को विभिन्न बैंक खातों में स्थानांतरित करने के उपरान्त **USDT डिजिटल करेंसी** में परिवर्तित किया जाता था।

पूर्व में मुकदमा उपरोक्त में पुलिस टीम द्वारा अभियुक्त **सुमित कुमार, अरबाज खान एवं छोटू मौर्या** को गिरफ्तार किया जा चुका है। पूछताछ एवं विवेचना से अभियुक्तगण द्वारा दिनांक **14 एवं 15 मार्च 2026** को संगठित रूप से लगभग **34 लाख रुपये की साइबर ठगी** कर धनराशि को विभिन्न बैंक खातों के माध्यम से USDT में परिवर्तित किया जाना प्रकाश में आया है। उक्त बैंक खातों के संबंध में अन्य राज्यों से भी ऑनलाइन धोखाधड़ी की शिकायतें प्राप्त होना पाया गया है।

अभियुक्तगण द्वारा अपनी पहचान छिपाने के लिए **VPN, टेलीग्राम ऐप एवं विभिन्न मोबाइल नंबरों** का प्रयोग किया जाता था। गिरोह के अन्य सदस्यों एवं साइबर ठगी से संबंधित लेनदेन के संबंध में अग्रिम विवेचनात्मक कार्यवाही की जा रही है। गिरफ्तार अभियुक्त के विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही करते हुए मा0 न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

02. अपराध कारित करने का तरीका (Modus Operandi)-

अभियुक्तगण द्वारा विभिन्न लोगों को ऑनलाइन गेमिंग प्लेटफार्म एवं टेलीग्राम के माध्यम से लिंक भेजकर लालच दिया जाता था। लिंक के माध्यम से आमजन को साइबर धोखाधड़ी का शिकार बनाकर प्राप्त धनराशि को विभिन्न बैंक खातों में स्थानांतरित कर **USDT में परिवर्तित कर आर्थिक लाभ अर्जित किया जाता था।**

03. गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

01-विनय कुमार गौतम उर्फ समर पुत्र किशुनलाल, उम्र करीब 30 वर्ष, निवासी मकान नं0 356/340/881, अशोक विहार, आलमनगर, थाना तालकटोरा, लखनऊ। व्यवसाय: मजदूरी।

05. अभियुक्त का आपराधिक इतिहास-

01-मु0अ0सं0 60/2026, धारा 318(4)/319(2)/111(2) बीएनएस एवं 66सी/66डी आईटी एक्ट, थाना मलिहाबाद, कमिश्नरेट लखनऊ।

अन्य आपराधिक इतिहास के संबंध में जानकारी/सत्यापन किया जा रहा है।

06. गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

थाना मलिहाबाद, कमिश्नरेट लखनऊ

1. अ0नि0 **सुरेन्द्र प्रसाद मिश्रा**
2. का0 **धनंजय कुमार**

07-जनता से अपील

पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ की जनता से अपील है कि किसी भी **अज्ञात लिंक, ऑनलाइन गेमिंग प्लेटफार्म अथवा लालच देने वाले संदेशों** पर विश्वास न करें। अपनी बैंकिंग संबंधी जानकारी, **OTP, पासवर्ड एवं अन्य गोपनीय जानकारी** किसी अनजान व्यक्ति से साझा न करें।

किसी भी प्रकार की साइबर ठगी होने पर तत्काल **साइबर हेल्पलाइन नंबर 1930** पर सूचना दें तथा नजदीकी थाना/साइबर क्राइम थाना को भी सूचित करें।

पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ

प्रेस नोट सं0-1416

दिनांक-12.08.2026

जोन- मध्य/ थाना-महानगर

नाबालिग लड़की को शादी करने का झांसा देकर बहला-फुसलाकर भगाकर ले जाने के आरोपी अभियुक्त को 06 घण्टे के अन्दर किया गया गिरफ्तार, नाबालिग अपहृता/पीड़ता सकुशल बरामद।

01-संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 11.08.2026 को वादिनी की तहरीर बाबत वादिनी की नाबालिग पुत्री उम्र 17 वर्ष को घर से पड़ोसी इश्तियाक द्वारा भगा ले जाने के सम्बन्ध में थाना महानगर पर **मु0अ0सं0 142/2026 धारा 137(2) BNS बनाम अज्ञात इश्तियाक पंजीकृत कराया गया। विवेचना से धारा 87 BNS की बढोत्तरी की गयी।**

दिनांक-11.08.2026 को महानगर पुलिस टीम अपहृता/पीड़िता व अभियुक्त की तलाश में मामूर थी कि मुखबिर की प्राप्त सूचना कि अपहृता किसी व्यक्ति के साथ सर्वोदयनगर बंधा के पास खड़ी है ऐसा लगता है कि कहीं जाने की फिराक में है।

मुखबिर की सूचना पर महानगर पुलिस टीम द्वारा नाबालिग अपहृता/पीड़िता की बरामदगी एवं अभियुक्त **इश्तियाक अहमद पुत्र फतेह मोहम्मद नि0 ग्राम सौरंगा, बेलहरा, बाराबंकी उम्र 22 वर्ष** को **सर्वोदयनगर बंधा के पास** दिनांक-11.08.2026 को समय 20:35 बजे **हिरासत पुलिस में लिया गया। नाबालिग अपहृता/पीड़िता को सकुशल बरामद किया गया।** गिरफ्तार अभियुक्त के विरूद्ध आवश्यक विधिक कार्यवाही अमल में लायी जा रही है।

02-पूछताछ विवरण एंव माड्यूस आपरेंडी-

गिरफ्तारशुदा अभियुक्त द्वारा नाबालिग अपहृता/पीड़िता को बहला फुसलाकर कर शादी की नियत से अपने साथ भगा ले जाना। गिरफ्तार अभियुक्त के विरूद्ध आवश्यक कार्यवाही की जा रही है।

03-गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

1. **इश्तियाक अहमद** पुत्र फतेह मोहम्मद निवासी ग्राम सौरंगा, बेलहरा, बाराबंकी हाल पता किराये का मकान रहीमनगर थाना महानगर,लखनऊ उम्र करीब 22 वर्ष

04-आपराधिक इतिहास-

1. मु0अ0सं0 142/2026 धारा 137(2)/87 BNS थाना महानगर लखनऊ

05-अनावरित अभियोग का विवरण-

1.मु0अ0सं0 142/2026 धारा 137(2)/87 BNS थाना महानगर लखनऊ

06-गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1.प्र0नि0 अखिलेश कुमार मिश्रा थाना महानगर, कमिश्नरेट लखनऊ।

2. उ0नि0 दिलीप केसरवानी थाना महानगर, कमिश्नरेट लखनऊ।

3.उ0नि0 उ0नि0 महेश कुमार शुक्ला थाना महानगर, कमिश्नरेट लखनऊ।

4.म0उ0नि0 रश्मि सिंह थाना महानगर, कमिश्नरेट लखनऊ।

5.का0 संदीप थाना महानगर, कमिश्नरेट लखनऊ।

6.का0 शम्भूनाथ थाना महानगर, कमिश्नरेट लखनऊ।

7.म0हे0का0 रेनू थाना महानगर, कमिश्नरेट लखनऊ।

पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ

प्रेस नोट सं0-1423
दिनांक- 12.08.2026

जोन- उत्तरी/ थाना-मडियांव

- **थाना मड़ियांव पुलिस द्वारा कूटरचित दस्तावेज तैयार कर स्वयं को भूमि का मालिक बताकर भूमि विक्रय करने वाले 01 वांछित अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार।**

01-संक्षिप्त विवरण:-

दिनांक **10.10.2024** को डाक पैड के माध्यम से आवेदक विमल चन्द्र जैन पुत्रगण स्व हरक चन्द्र जैन निवासी-, समक्ष डालीगंज रेलवे स्टेशन डालीगंज, थाना हसनगंज लखनऊ द्वारा प्रार्थना पत्र प्राप्त हुआ, जिसमें विपक्षीगण द्वारा आवेदकगण की भूमि के संबंध में धोखाधड़ी एवं कूटरचना करते हुए फर्जी बैनामा तैयार कर स्वयं को भूमि का वास्तविक मालिक बताते हुए भूमि विक्रय करने के संबंध में आरोप लगाए गए थे।

प्राप्त प्रार्थना पत्र के आधार पर थाना मड़ियांव पर **मु0अ0सं0 624/2024, धारा 318(4)/338/336(3)/340(2) बीएनएस** बनाम ज्ञान सिंह पुत्र स्व0 गुरू प्रसाद आदि पंजीकृत किया गया। विवेचना के दौरान प्राप्त साक्ष्यों के आधार पर अभियोग में **धारा 61(2) बीएनएस की वृद्धि** की गयी।

दिनांक **11.08.2026** को मुकदमा उपरोक्त से संबंधित वांछित अभियुक्त **महेन्द्र प्रताप पुत्र सुखदेव**, निवासी ग्राम कनकपुर, पोस्ट दहावा, थाना रामपुर कलां, जनपद सीतापुर, उम्र करीब 29 वर्ष, को **मास्टरबाग ऑटो सेल्स, मास्टरबाग** से समय करीब 17:00 बजे गिरफ्तार किया गया।

अभियुक्त को गिरफ्तारी का कारण बताते हुए नियमानुसार पुलिस हिरासत में लिया गया। गिरफ्तारी के दौरान माननीय सर्वोच्च न्यायालय एवं मानवाधिकार आयोग के दिशा-निर्देशों का अक्षरशः पालन किया गया। अभियुक्त के विरुद्ध आवश्यक विधिक कार्यवाही पूर्ण कर उसे माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया। अभियुक्त के आपराधिक इतिहास के संबंध में अन्य थानों एवं जनपदों से जानकारी की जा रही है।

02-अपराध करने का तरीका (Modus Operandi):-

अभियुक्त द्वारा अपने साथियों के साथ मिलकर कूटरचित दस्तावेज तैयार कर आवेदकगण की भूमि विक्रय कर लाभ लेना।

03-गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरण:-

01-महेन्द्र प्रताप पुत्र सुखदेव निवासी ग्राम कनकपुर पोस्ट दहावा थाना रामपुर कलाँ जनपद सीतापुर उम्र करीब 29 वर्ष (व्यवसायः- मास्टर बाग आटो सेल्स में)

04-पंजीकृत/अनावरित अभियोग-

01-मु0अ0सं0 624/2024, धारा 318(4)/338/336(3)/340(2) बीएनएस थाना मड़ियांव लखनऊ

05-गिरफ्तार करने वाली टीम थाना मडियांव

01.प्रभारी निरीक्षक श्री शिवानन्द मिश्र
02.उ0नि0 श्री अमित कुमार साहू
03. उ0नि0 जोशी रघुवंशी

पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ

प्रेस नोट सं0-1420

दिनांक-12.08.2026

जोन- पूर्वी/ थाना-इन्दिरानगर

थाना इन्दिरानगर पुलिस द्वारा हत्या की घटना का सफल अनावरण, 05 नामजद अभियुक्त गिरफ्तार।

- **अभियुक्तगण को उनके निवास स्थान से गिरफ्तार कर घटना के संबंध में पूछताछ एवं आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।**
- **विवेचना एवं पूछताछ में मृतक की गला दबाकर हत्या किए जाने तथा घटना में प्रयुक्त कपड़े को कूड़ा उठाने वाली गाड़ी में फेंककर साक्ष्य छिपाने/मिटाने का प्रयास किए जाने के तथ्य प्रकाश में आए।**
- **घटना में अभियुक्तगण की सामूहिक संलिप्तता एवं साक्ष्य मिटाने के प्रयास के आधार पर अभियोग में धारा 238/3(5) बीएनएस की बढ़ोत्तरी की गई।**
- **घटना के प्रत्येक पहलू की गहनता से विवेचना की जा रही है तथा प्रकाश में आए तथ्यों एवं साक्ष्यों के आधार पर अग्रिम विधिक कार्यवाही प्रचलित है।**

01-संक्षिप्त विवरण:-

वादी श्री दिनेश तिवारी पुत्र रामपति निवासी -ग्राम मरकामऊ, थाना बदोसराय, जिला बाराबंकी द्वारा दिनांक 09.08.2026 को एक प्रार्थना पत्र बाबत- विपक्षीगणों द्वारा वादी के पुत्र पंकज तिवारी की हत्या कर देने के सम्बन्ध में थाना स्थानीय पर प्राप्त हुआ जिसके आधार **मु0अ0स0- 0211/2026 धारा-103(1) बीएनएस** बनाम 1.नेहा त्रिपाठी पुत्री बृजेश कुमार त्रिपाठी,2.बृजेश कुमार त्रिपाठी पुत्र अज्ञात,3.नेहा की माता नाम अज्ञात पत्नी बृजेश कुमार त्रिपाठी ,4.नेहा का भाई बट्टू बॉबी पुत्र बृजेश कुमार त्रिपाठी,5. नेहा के बडे भाई नाम अज्ञात पुत्र बृजेश कुमार त्रिपाठी निवासीगण- बी-244, सन्तपुरम साई धाम मंदिर के पास, हरिहर नगर, तकरोही,थाना इंदिरा नगर, लखनऊ पंजीकृत हुआ।

घटना की गम्भीरता को देखते हुये उच्चाधिकारीगण द्वारा घटनास्थल का निरीक्षण किया गया तथा अभियोग के सफल अनावरण हेतु आदेशों निर्देशों दिये गये जिस पर त्वरित कार्यवाही हेतु थाना स्थानीय पर टीमों का गठन किया गया तथा दिनांक-11.08.2026 को अभियोग से सम्बन्धित नामित अभियुक्तगणों को उनके निवास स्थान से गिरफ्तार कर पुलिस हिरासत में लिया गया।

दौराने विवेचना व पूछताछ अभियुक्तगणों से मृतक पंकज तिवारी के गले में लगाये गये कपड़े को कूड़ा उठाने वाली गाड़ी में फेंक दिया गया था। अभियुक्तगणों द्वारा साक्ष्य मिटाने के लिये गले का कपड़ा तथा एक राय होकर हत्या जैसे जघन्य अपराध कारित की गयी है जिसके कारण उक्त **अभियोग में धारा 238/3(5)बीएनएस की बढोतरी की गयी तथा अन्य विवेचनात्मक कार्यवाही की जा रही है।**

02-अपराध का तरीका -

वादी के पुत्र की गला दबाकर हत्या कर देना

03-गिरफ्तार अभियुक्त का विवरणः-

1. बृजेश कुमार त्रिपाठी पुत्र स्व0 राज बली उम्र करीब 70 वर्ष निवासी हाल पता बी 244 संतपुरम साईधाम मन्दिर के पास तकरोही थाना इन्दिरानगर जनपद लखनऊ मूल निवासी कन्दरा पुर थाना मधुबन जिला मऊ

2.सौरभ त्रिपाठी पुत्र बृजेश कुमार त्रिपाठी उम्र करीब 28 वर्ष निवासी हाल पता बी 244 संतपुरम साईधाम मन्दिर के पास तकरोही थाना इन्दिरानगर जनपद लखनऊ मूल निवासी कन्दरा पुर थाना मधुबन जिला मऊ

3.बाबी उर्फ सोहम त्रिपाठी पुत्र बृजेश कुमार त्रिपाठी उम्र करीब 25 वर्ष निवासी हाल पता बी 244 संतपुरम साईधाम मन्दिर के पास तकरोही थाना इन्दिरानगर जनपद लखनऊ मूल निवासी कन्दरा पुर थाना मधुबन जिला मऊ

4.नेहा त्रिपाठी पुत्री बृजेश कुमार त्रिपाठी उम्र करीब 26 वर्ष निवासी हाल पता बी 244 संतपुरम साईधाम मन्दिर के पास तकरोही थाना इन्दिरानगर जनपद लखनऊ मूल निवासी कन्दरा पुर थाना मधुबन जिला मऊ

5.श्रीमती बिन्दु त्रिपाठी पत्नी बृजेश कुमार त्रिपाठी उम्र करीब 52 वर्ष निवासी हाल पता बी 244 संतपुरम साईधाम मन्दिर के पास तकरोही थाना इन्दिरानगर जनपद लखनऊ मूल निवासी कन्दरा पुर थाना मधुबन जिला मऊ

04-आपराधिक इतिहास –

1.मु0अ0सं0 मु0अ0सं0 0211/2026 धारा-103(1)/ 238/3(5) बीएनएस थाना इन्दिरानगर लखनऊ।

05- अभियुक्त की गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम थाना इन्दिरानगर लखनऊ-

1.श्री अजय नारायण सिंह, प्रभारी निरीक्षक थाना इन्दिरानगर लखनऊ।

2. उ0नि0 उ0नि0 श्री संजय कुमार भारद्वाज

3.उ0नि0 श्री आनन्द कुमार मिश्रा

4.म0उ0नि0 कुसुम सिंह

5.उ0नि0 श्री विकास सिंह

6. हे0का अखिलेश शर्मा

7. म0का0 मनु शर्मा

8. म0का0 काजल शाक्या

पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ

प्रेस नोट सं0- 1415
दिनांक-12.08.2026

जोन - मध्य / कोतवाली - हजरतगंज

- **थाना हजरतगंज पुलिस के अथक प्रयासों से गुमशुदा लड़की को सकुशल बरामद।**
- **परिवारीजनों को सुपुर्द किया गया, परिवारीजनों द्वारा पुलिस की प्रशंसा की गयी।**

संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 09.08.2026 को वादी मुकदमा लखनऊ द्वारा अपने पुत्री के घर से बिना बताये कहीं चले जाने के सम्बन्ध में लिखित तहरीर प्रस्तुत किया गया जिसके आधार पर थाना स्थानीय पर **मु0अ0सं0 171/26 धारा 137(2) बीएनएस** बनाम अज्ञात पंजीकृत किया गया।

विवेचना चौकी प्रभारी उ0नि0 श्री लव कुमार शुक्ला द्वारा की जा रही थी। अभियोग उपरोक्त में सीसीटीवी फुटेज के अवलोकन व सर्विलांस सेल डीसीपी सेन्ट्रल की सहायता से सुरागरसी पतारसी करते हुए गुमशुदा को सकुशल बरामद किया गया तथा गुमशुदा के परिजनो को बुलाकर उनके सुपुर्द किया गया। लड़की को सकुशल पाकर परिजनो द्वारा पुलिस की प्रशंसा की गयी।

पुलिस टीम

- उ0नि0 श्री लव कुमार शुक्ला, कोतवाली हजरतगंज, पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ
- का0 मनीष कुमार, कोतवाली हजरतगंज, पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ

पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ

प्रेस नोट सं0-1417

दिनांक-12.08.2026

जोन- दक्षिणी / थाना- बिजनौर

थाना बिजनौर पुलिस टीम द्वारा शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करने वाला 01 अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार।

01-कार्यवाही विवरणः-

श्रीमान पुलिस आयुक्त कमिश्नरेट लखनऊ श्री तरूण गाबा व संयुक्त पुलिस आयुक्त अपराध एवं मुख्यालय श्रीमती अपर्णा कुमार के निर्देशानुसार महिलाओं के विरुद्ध हो रहे अपराधों की रोकथाम हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत पुलिस उपायुक्त (दक्षिणी) श्री मो0 मुश्ताक के कुशल पर्यवेक्षण एवं अपर पुलिस उपायुक्त (दक्षिणी) श्री रल्लापल्ली वसंथ कुमार व सहायक पुलिस आयुक्त कृष्णानगर श्री अभिषेक कुमार पाण्डेय के कुशल मार्गदर्शन एवं प्रभारी निरीक्षक बिजनौर श्री कपिल गौतम द्वारा गठित टीम द्वारा शादि का झांसा देकर दुष्कर्म करने वाला 01 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया।

02-संक्षिप्त विवरणः-

दिनांक 03.08.26 को वादिनी की तहरीरी सूचना पर नामित अभियुक्त अन्नू यादव पुत्र श्याम सिंह यादव निवासी CRPF चौराहा दुर्गापुरी कालोनी थाना बिजनौर लखनऊ द्वारा वादिनी मुकदमा के साथ शादी का झाँसा देकर शारीरिक सम्बन्ध बनाना व वादिनी द्वारा शादी के लिये कहने पर गाली गलौज करते हुये मारपीट करना तथा जान से मारने की धमकी देने के सम्बन्ध में थाना बिजनौर पर मु0अ0सं0 202/26 धारा 376/323/504/506 भादवि पंजीकृत किया गया था।

घटना के सफल अनावरण हेतु पुलिस उपायुक्त दक्षिणी द्वारा तत्काल 02 टीमों का गठन किया गया। टीमों द्वारा टैक्निकल एवं मैनुअल साक्ष्यों व स्थानीय सूचना तंत्र के माध्यम से दिनांक 12.08.2026 को अभियुक्त अन्नू यादव पुत्र श्याम सिंह यादव उपरोक्त को नटकुर अण्डरपास के पास से गिरफ्तार कर मा0 न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया।

03-पूछताछ विवरणः-

अभियुक्त ने पूछताछ करने पर बताया कि मैं वादिनी उपरोक्त को वर्ष 2023 में मिला था जिसको शादी का झांसा देकर उसके साथ मेरे द्वारा गलत काम किया। साहब मुझसे गलती हो गयी, मुझे माफ कर दीजिए।

04-गिरफ्तार अभियुक्त का विवरणः-

01-अन्नू यादव पुत्र श्याम सिंह यादव निवासी कंकड कुँआ (दुर्गापुरी कालोनी सीआरपीएफ चौराहा) थाना बिजनौर लखनऊ उम्र करीब 25 वर्ष (शिक्षा- 10^{th})

05-अनावरित अभियोगः-

01-मु0अ0सं0 202/26 धारा 376/323/504/506 भादवि थाना बिजनौर लखनऊ

06- गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-

1. व0उ0नि0 नाजिम खान थाना बिजनौर लखनऊ
2. का0 संदीप कनौजिया थाना बिजनौर लखनऊ
3. का0 दिनेश चौरसिया थाना बिजनौर लखनऊ
4. रि0का0 अजयवीर सिंह थाना बिजनौर लखनऊ